

**मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण**  
(म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)  
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 6679 /22/वि-12/ग्रा.स.प्रा/लेखा/2020

भोपाल, दिनांक 9/06/2020

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)/लेखाधिकारी (समस्त)  
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई  
मध्यप्रदेश

विषय:- OMMAS पर Payment हेतु REAT Module के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि PMGSY के अंतर्गत OMMAS पर Electronic Payment, DBT Module of PFMS के माध्यम से हो रहा है। NRIDA से प्राप्त निर्देशानुसार DBT Module के स्थान पर Upgraded Module REAT का उपयोग किया जाना है। लगभग सभी GM PIUs द्वारा REAT Module पर अपने DSC Registered कर लिए हैं। REAT Module पर मुख्यालय द्वारा DBT Module पर उपलब्ध सभी ठेकेदारों के Bank Account को भी REAT पर Verification हेतु भेजा गया है जिसकी Report, OMMAS के अंतर्गत Receipt/Payment Module -> REAT -> Vendor Registration Status पर उपलब्ध है।


कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

1. उपलब्ध Vendor Registration Status Report को Download करें।
2. यह Check करें कि जिन ठेकेदारों को आपको वर्तमान में अथवा आगे Payment करना है उनका Bank Account, REAT Module पर Accepted हो गया है अथवा नहीं। यदि Accepted नहीं हुआ है तो मुख्यालय को जानकारी निम्न Format में संविदाकार के निरस्त चैक की प्रति संलग्न करते हुए प्रबंधक आई.टी. को भेजने का कष्ट करें।

S.no	Beneficiary ID	Contractor's Firm Name	PAN No.	Account Details		
				A/c No.	Bank Name	IFSC Code
1						
2						
3						

NOTE :-

- ❖ यदि अगर एक Contractor के दो या दो से अधिक ID बने हैं और एक पर A/c Accepted हो गया है तो दूसरे ID हेतु अन्य Account Details भेजें।
- ❖ केवल उन्हीं ठेकेदारों की जानकारी भेजें जिनको वर्तमान में एवं भविष्य में Payment/Released करना है तथा जिनका REAT पर Account Accepted नहीं हुआ है।  
जानकारी दिनांक 15.06.2020 तक प्रबंधक(आई.टी.) को भेजना सुनिश्चित करें।



(महेन्द्र पाल सिंह निरंजन)  
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)  
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण




//2//

पृ.क्र. 6680/22/वि-12/ग्रास/लेखा/  
प्रतिलिपि-

दिनांक 9.6.2020

1. प्रमुख अभियंता म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य महाप्रबंधक, समस्त म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रबंधक आई.टी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)  
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण